

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करण, सी0बी0आई0, पश्चिमी, लखनऊ।
क्रि0 केस नं0-657 / 16

सी0बी0आई0

बनाम रवि कुमार गुप्ता व अन्य
अपराध संख्या-आर.सी. 0062016ए0025
धारा-120बी भा0द0सं0 एवं धारा-7 पी.सी.ऐक्ट
एवं 13(2) सपठित 13 (1)(डी) पी.सी.ऐक्ट
थाना-सी0बी0आई0 / एस.सी.बी.लखनऊ।

आरोप

मैं डा0 विदुषी सिंह विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करण, सी0 बी0 आई0, पश्चिमी, लखनऊ आप अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता को निम्न आरोप से आरोपित किया जाता है-

प्रथम-

यह कि आप अभियुक्त तात्कालीन असिस्टेंट मैनेजर(एडवांस) पूर्वांचल बैंक, बाजार ब्रांच, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में लोक सेवक के पद पर कार्यरत रहते हुए सह अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह उर्फ बाबूसाहब के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए वादी मुकदमा बदरुज्जा आलम से किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को स्वीकृत करने के लिए रु0 15,000/- रिश्वत की मांग की तथा अभियुक्त सह अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह उर्फ बाबूसाहब के माध्यम से आपराधिक षडयंत्र के तहत रिश्वत के रूप में दस हजार रुपये को प्राप्त किया। इस प्रकार आपने धारा-120बी भा0द0सं0 सपठित धारा-7 पी.सी.ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय-

यह कि आप अभियुक्त तात्कालीन असिस्टेंट मैनेजर(एडवांस) पूर्वांचल बैंक, बाजार ब्रांच, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में लोक सेवक के पद पर कार्यरत रहते हुए सह अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह उर्फ बाबूसाहब के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए वादी मुकदमा बदरुज्जा आलम से किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को स्वीकृत करने के लिए रु0 15,000/- रिश्वत की मांग की तथा अभियुक्त सह अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह उर्फ बाबूसाहब के माध्यम से आपराधिक षडयंत्र के तहत रिश्वत के रूप में दस हजार रुपये को प्राप्त किया और आपने आपराधिक कदाचार का अपराध कारित करते हुए धारा-120बी भा0द0सं0 सपठित धारा- -13(2) सपठित 13 (1)(डी) पी.सी.ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अपराध के लिए आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(डा0 विदुषी सिंह)

दिनांक-27.03.19

विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करण,
सी0 बी0 आई0, पश्चिमी, लखनऊ

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

(डा0 विदुषी सिंह)

दिनांक-27.03.19

विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करण,

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करण, सी०बी०आई०, पश्चिमी, लखनऊ।
क्रि० केस नं०-657 / 16

सी०बी०आई०

बनाम

रवि कुमार गुप्ता व अन्य

अपराध संख्या-आर.सी. 0062016ए0025

धारा-120बी भा०द०सं० एवं धारा-7 पी.सी.ऐक्ट
एवं 13(2) सपठित 13 (1)(डी) पी.सी.ऐक्ट
थाना-सी०बी०आई० / एस.सी.बी.लखनऊ।

आरोप

मैं डा० विदुषी सिंह विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करण, सी० बी० आई०, पश्चिमी, लखनऊ
आप अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह उर्फ बाबू साहब को निम्न आरोप से आरोपित किया जाता है-

प्रथम-

यह कि आपके सह अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता जो तत्समय असिस्टेंट मैनेजर(एडवांस)
पूर्वांचल बैंक, बाजार ब्रांच, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में लोक सेवक के पद पर कार्यरत थे, ने
वादी मुकदमा बदरुज्जा आलम से किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को स्वीकृत करने के लिए रु०
15,000/- रिश्वत की मांग की गई और आप द्वारा सह अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता के साथ
आपराधिक षडयंत्र करते हुए रिश्वत के रूप में दस हजार रुपये प्राप्त किया। इस प्रकार
आपने धारा-120बी भा०द०सं० सपठित धारा-7 पी.सी.ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया
जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय-

यह कि आपके सह अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता जो तत्समय असिस्टेंट मैनेजर(एडवांस)
पूर्वांचल बैंक, बाजार ब्रांच, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में लोक सेवक के पद पर कार्यरत थे, ने
वादी मुकदमा बदरुज्जा आलम से किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को स्वीकृत करने के लिए रु०
15,000/- रिश्वत की मांग की गई और आप द्वारा सह अभियुक्त रवि कुमार गुप्ता के साथ
आपराधिक षडयंत्र करते हुए रिश्वत के रूप में दस हजार रुपये प्राप्त किया। और आपने
आपराधिक कदाचार का अपराध कारित करते हुए धारा-120बी भा०द०सं० सपठित धारा- -13(2)
सपठित 13 (1)(डी) पी.सी.ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान
में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अपराध के लिए आप
अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(डा० विदुषी सिंह)

दिनांक-27.03.19

विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करण,
सी० बी० आई०, पश्चिमी, लखनऊ

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया
और विचारण की मांग किया।

दिनांक—27.03.19

(डा० विदुषी सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एन्टी-कorrप्शन,
सी० बी० आई०, पश्चिमी, लखनऊ